रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 685] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2010/अग्रहायण 29, 1932
No. 685] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2010/AGRAHAYANA 29, 1932

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 986(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क का निर्धारण) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. लघु शीर्ष और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2010 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूची 'क' में संशोधन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क का निर्धारण) विनियम, 2008 की अनुसूची 'क' में खण्ड 9 के बाद निम्नलिखित खण्ड को शामिल किया जाए, अर्थात् :—

"10. प्रारंभिक इकाई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क की अंतिम गणना के बाद प्रशुल्क गणना में मात्रा अंतर का समायोजन

(1) कंपनी द्वारा वर्ष दर वर्ष के आधार पर खंड 9 के उप-खंड (5) के अंतर्गत निर्धारित अंतिम इकाई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क में समायोजन किया जाएगा जिसमें ग्राहकों द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रचालनों के पहले पांच वर्षों में से किसी वर्ष में वास्तविक मात्रा पर विचार किया जाएगा जब—

(क) खंड 6 के उप-खंड (1) की मद (क) में विनिर्दिष्ट आधार पर अंतिम इकाई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क के निर्धारण के लिए विभाजकों के रूप में विचार करते हुए वास्तविक मात्रा, मानकीय मात्रा से अधिक हो; या

(ख) खण्ड 6 के उप-खंड (1) की मद (क) में विनिर्दिष्ट आधार पर अंतिम इकाई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क के निर्धारण के लिए विभाजकों के रूप में विचार करते हुए वास्तविक मात्रा, मानकीय मात्रा से अधिक हो, लेकिन जो अंतिम इकाई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क के निर्धारण के लिए विचार की गई मात्रा से कम हो ।

(2) जब वास्तविक मात्रा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रचालनों के पहले पांच वर्षों में से किसी वर्ष में मानकीय मात्रा से कम होती है, तो ऐसी कम मात्रा के प्रभाव के विस्तार की अनुमति दी जाएगी । ऐसे विस्तार की अनुमति पहले पांच वर्षों में से किसी एक वर्ष में अग्रेनीत अधिक वास्तविक मात्रा के प्रभाव तक ही दी जाएगी और बकाया विस्तार, यदि कोई हो, बाद के वर्षों में अग्रेनीत किया जाएगा, लेकिन यह प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रचालन के पहले पांच वर्षों के बाद नहीं होगा, इसकी केवल अधिक वास्तविक मात्रा होने के मामले में ही समायोजन के लिए अनुमति दी जाएगी ।

(3) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रचालनों के पहले पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद बोर्ड को कंपनी द्वारा